BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 26 नवम्बर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 15,00/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त लखन उर्फ लाखन पुत्र राम सिंह निवासी भौरा थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताडित कर आत्महत्या के लिए उकसाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 08.01.2018 को थाना ककोड पर मुअसं- 13/18 धारा 498ए,306 भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 15.04.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमे 01 गवाह परिक्षित हुआ जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 26.11.2024 को न्यायाधीश श्री वरुण मोहित निगम (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त लखन उर्फ लाखन को 05 वर्ष का कारावास व 15,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय शर्मा व श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर